

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी
हुए

29.01.26

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिस पर वादी वकील की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वकील वादी ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पादरू तहसील सिवाना के पुराना खसरा संख्या 2216/97 रकबा 1.4893 हैक्टेयर नया खसरा संख्या 436 रकबा 1.4752 हैक्टेयर व पुराना खसरा संख्या 83 रकबा 1.7826 नया खसरा संख्या 480 रकबा 1.8992 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	पूनमाराम पुत्र राजूराम जाति	436	0.4918	गुलाबी
	विश्वनोई सा.देह खातेदार	480	0.6330	
	योग	2	1.1248	गुलाबी
2	रतनाराम पुत्र राजूराम जाति	436	0.4917	भूरा
	विश्वनोई सा.देह खातेदार	480	0.6331	
	योग	2	1.1248	भूरा
3	हरदानराम पुत्र राजूराम जाति	436	0.4917	हरा
	विश्वनोई सा.देह खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पादरू	480	0.6331	
	योग	2	1.1248	हरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन उक्त आदेश से अप्रभावित रहेगा विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना



डिक्री व मुकदमे इत्दाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादी :-

रतनाराम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला
बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. पूनमाराम पुत्र राजूराम
2. हरदानराम पुत्र राजूराम
जाति बिश्नोई निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा, पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नंबर :-94/2024

निर्णय दिनांक :- 29.01.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री किशोरीलाल सोनी मिनजानिव

मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि ग्राम पादरू
तहसील सिवाना के पुराना खसरा संख्या 2216/97 रकबा 1.4893 हैक्टेयर नया खसरा संख्या 436
रकबा 1.4752 हैक्टेयर व पुराना खसरा संख्या 83 रकबा 1.7826 नया खसरा संख्या 480 रकबा 1.8992
हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की
जाती है:-

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	पूनमाराम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	436	0.4918	गुलाबी
		480	0.6330	
	योग	2	1.1248	गुलाबी
2	रतनाराम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	436	0.4917	भूरा
		480	0.6331	
	योग	2	1.1248	भूरा
3	हरदानराम पुत्र राजूराम जाति बिश्नोई सा.देह खातेदार	436	0.4917	हरा
	रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पादरू	480	0.6331	
	योग	2	1.1248	हरा

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती

सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक रहन इस आदेश से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के
संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना



आंशिक भू-नक्शा
फोटो कॉपी
ग्राम- पादरु
तहसील - सिवाना
बिना- पैमाना

संकेत

≡≡≡


रतनाराम

≡≡≡

पूनमाराम

≡≡≡

हरदानराम



Ex-Gurt

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Dalveer
प. पादरु

478

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना

20/11/25
ILR पादरु